Talk with Bangladesh on Inland Water Transport and trade

1840. CHOWDHRY HARI SINGH: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be plesed to state:

(a) whether it is a fact that talks between the officials of India and Bangla desh were held recently to finalise the inland water transit and trade;

(b) if so, what were the detaijs of the decisions taken at the meeting; and

(c) by when it is proposed to implement them?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Yes, Sir

(b) As a result of Bilateral Talks between India and Bangladesh held during 13-14 September, 1993, the Protocol on Inland Water Transit and Trade between India and Bangladesh has been renewed for a further period of 2 years w.e.f. 4-10-1993 to 3-10-1995.

Transit facilities for Indian inland vessels through specified waterway routes in Bangladesh are provided under the Protocol. The Government of Bangladesh has also agreed to maintain two specific stretches which are primarily used by the Indian Transit vessels. For this purpose, it has been agreed to pay a sum of TK 137 lakhs in 1993-94 and TK 150 lakhs in 1994-95 to Bangladesh. The Protocol also provides for sharing of inter-country traffic on 50:50 basis by the two countries.

(c) It has already been implemented w.e.f. 4-10-1993 and shall remain in force upto 3-10-1995.

राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना

1841. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय परिवहन नीति संबंधी समिति ने 1984 में निम्नांकित सात मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की सिफारिश की है,

(1) ग्वालियर-झांसी-खजुराहो-रीवा
(2) नागपुर-अब्दुल्लागंज-भोपाल
(3) जबलपुर-शहडोल-अम्बिकापुर-रांची
(4) रायपुर-वाराणसी
(5) बरमपुर-रायपुर
(6) अहमदाबाद-इंदौर-देवास-भोपाल, और
(7) राजमुहन्द्री-जगदलपुर (बस्तर)

(ख) यदि हां, तो किन-किन मार्गों को स्वीकृति प्रदान की है;

(ग) यदि स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है तो कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिये जाने की संभावना है, और

(घ) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व मात्र 0.67 है जो कि इसके सभी पड़ोसी राज्यों में विद्यमान घनत्व से काफी कम है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वित्तीय अभाव और अन्य प्राथमिकताओं के कारण इन सात सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करना संभव नहीं हो पाया है। यह भी बताना संभव नहीं है कि इन सड़कों को कब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाएगा।

(घ) अखिल भारतीय औसत की तुलना में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई इसकी जनसंख्या के हिसाब से अधिक है जबकि इसके क्षेत्र के हिसाब से कम है। वैसे भी, सड़कों को क्षेत्र/जनसंख्या/राज्य स्तर की सड़कों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया जाता, बल्कि समग्र देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस प्रयोजन हेतु निर्धारित मानदंडों के आधार पर ऐसा किया जाता है।